न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–48 / 2023
GCMS NO:- 2023/79

दायर दिनांक: 16.02.2023
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

रामलाल आ0 शंकरलाल जाति मीणा नि0 पीपरवाला तहसील नैनवॉ (कुल 4)

– प्रार्थीगण

बनाम

बृजमोहन आ0 लोडूनाथ जाति नाथ बाबाजी नि0 पीपरवाला तहसील नैनवॉ वगै. (कुल 15)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आरटीएक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हरिनारायण स्वामी।

प्रत्यार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश कुमार मीणा।

निर्णय दिनांक 31.07.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम पीपरवाला प.म0 खजुरा तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 170 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 200, 205, 215, 343, 371, 477, 521, 536, 578 कुल किता 9 कुल रकबा 9.9508 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसके सहखातेदार प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 और प्रत्यार्थीगण 3 लगायत 15 है जिसमे प्रार्थीगण 1 लगायत 4 का हिस्सा 4/24 है।

यह कि प्रार्थीगण के हिस्से की कृषि भूमि खसरा नम्बर 578 पर पीपरवाला से संग्रामगंज जाने वाले रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 577 वांके ग्राम पीपरवाला की पूर्वी दिशा की मेर पर होते हुए व भूमि खसरा नम्बर 570 किस्म चारागाह वांके ग्राम पीपरवाला के बीच मे होते हुए अपने खेत खसरा नम्बर 578 पर पहुंचते है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 578 पर पहुंचनेए कृषि उपकरणों को लाने व ले जाने हेतु एवं आने जाने के लिए कम से कम 30 फुट चौडे मार्ग की आवश्यकता होती है किन्तु मौके पर प्रत्यार्थीगण द्वारा अपने खाते के खेतों की हकाई कर फाड देतें है इसलिए प्रार्थीगण को अपनें खेत पर आने जाने के लिए व कृषि उपकरणों को लाने ले जाने के लिए रास्ता शेष नही रहता। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 577 की पूर्वी दिशा की मेर पर होते हुए व खसरा नम्बर 570 के बीच मे होते हुए अपने खेत खसरा नम्बर 578 तक पहुंचना पडता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते को परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से क से ख बिन्दूओं के बीच दर्शाया गया है। उक्त रास्ते की सख्त आवश्यकता है क्योंकि उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है। परिशिष्ट अ के अनुसार रास्ता दिया जाने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रतिकर राशि भी जमा करवाने हेतु तैयार है। दिनांक 30.01.2023 को प्रत्यार्थीगण ने लकडियां लेकर आये तथा प्रार्थीगण के आडे फिर गए और धमकी दी कि हम तुम्हे यहां से नही निकलने देंगे। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रत्यार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश कुमार मीणा द्वारा वकालातनामा पेश किया गया।

आज दिनांक 31.07.2025 को प्रत्यार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा फर्द दस्तावेजों की सूची पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 578 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, का विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा जब तक उक्त भूमि खसरा नम्बर 578 का विधिवत रूप से विभाजन नही हो जाता तब तक धारा 251क के तहत् प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायसंगत नही होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है। साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ जो परिशिष्ट अ संलग्न किया है, मे खसरा नम्बर 578 की उत्तरी दिशा मे उपर की ओर खसरा नम्बर 577 दर्शित किया गया है, जबकि राजस्व नक्शा मे ऐसा नही होकर खसरा नम्बर 578 के उत्तरी दिशा मे उपर की ओर खसरा नम्बर 575 व 573 है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ जो परिशिष्ट अ संलग्न किया है अथवा जिसके अनुसार रास्ता चाहा गया है, वह मिथ्या/राजस्व रिकॉर्ड अनुसार नही होने से भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने योग्या है।

हमने वाद पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ राजस्व रिकॉर्ड अथवा राजस्व नक्शे के मुताबिक नही होने से तथा प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 578 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ